

राजस्थान सरकार

न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट करौली  
पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिंह तोमर आर.ए.एस

मु०नं० 43/2017

तारीख रजू:- 26.12.2017

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला करौली

:- सायल

**बनाम**

लच्छी उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र चन्दन जाति गौड उम्र 55 साल निवासी सायनाथ खिडकीयों करौली  
थाना कोत. करौली जिला करौली

:-गैरसायल

**इस्तगासा इन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975**

**निर्णय**

दिनांक 23.12.2019

पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा यह इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैरसायल लच्छी उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र चन्दन जाति खाती निवासी सायनाथ खिडकीयों करौली थाना कोतवाली करौली जिला करौली के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना हिण्डौन जिला करौली मे निम्न केस दर्ज हुये है।

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर व दिनांक	धारा	नतीजा पु० चार्ज०नं०	न्यायालय निर्णय व दिनांक
01	96/14 दि० 03.08.2013	13 आरपीजीओ एक्ट	63 दिनांक 12.03.2014	जुर्माना 100रुपये दिनांक 25.03.2014
02	495/14 दि० 27.11.2014	13 आरपीजीओ एक्ट	328 दिनांक 30.11.2014	जुर्माना 50रुपये दिनांक 10.10.2015
03	454/15 दि० 02.11.2015	13 आरपीजीओ एक्ट	278 दिनांक 25.11.2015	जुर्माना 50रुपये दिनांक 02.12.2015

उक्त पंजीवृत आपराधीक प्रकरण मे वाद जॉच चार्ज शीट किता कर संबन्धित न्यायालय मे चालान पेश किया गया जिसमे सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त प्रकरणो मे दोषी मानते हुये जुर्मान के ठण्ड से दण्डित किया गया। गैरसायल जुआ,सट्टा का आदतन अपराधी है। जिसमे आम जनता मे कुप्रभाव पडता है। इतने प्रकरण दर्ज होने के बाबजूद भी इसकी कार्य सैली पर कोई असर नही हो रहा है। बल्कि हॉसला बुलन्द होता जा रहा है। कानून का भय कतई नही रखता है। निरन्तर अपराध करता जा रहा है। ऐसे अपराधी को खुले रूप से घुमना आम जनता के जान माल की सुरक्षा हेतु असुरक्षित रहता है। ऐसे अपराधी का खुले रूप मे सामाजिक सुरक्षा एवं कानून के राज के लिए कतई हित मे नही है। इस तरह के अपराधी के खिलाफ गुण्डा एक्ट की कार्यवाही किया जाना आम जनता के हित मे है।

अन्त मे स्थगासा पेश कर गैरसायल अपराधी लच्छी उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र चन्दन जाति गौड निवासी सायनाथ खिडकीयों करौली थाना कोतवाली करौली जिला करौली के खिलाफ कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

स्थगासा को साबित करने के लिए एफआईआर की प्रति नतीजा चार्ज शीट की प्रति नतीजा न्यायालय की प्रति एवं गवाह के नाम पेश की है।

स्थगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम -04 के उल्लेखन अनुसार राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिभाषक उपस्थित आया। गैरसायल ने जवाब एवं एक प्रार्थनापत्र सहमति का पेश कर निवेदन किया है। कि प्रार्थी गरीब व्यक्ति है और

उसके छोटे-छोटे बच्चे है। प्रार्थी को दोष मुक्त कर माफ़ फरमाया जावे यदि प्रार्थी को दोषी माना जावे तो अन्य जिले मे नही भेजकर अन्य थाने मे उपस्थिति देने हेतु पाबंद फरमाया जावे।

सायल की ओर से इस्तगासा मे प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा न्यायालय निर्णय की प्रति ,नतिजा चार्ज शीट की प्रति,पेश की गई है। जिसमे गैरसायल को आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। गैरसायल ने अपने बचाव पक्ष मे किसी प्रकार की कोई साक्ष्य आदि पेश नही की गई है।

गैरसायलान को असलान एवं वकालानतन सुना गया। सायल ने अपने इस्तगासा मे गैरसायल के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज करते हुये सक्षम न्यायालय मे चार्ज शीट पेश की गई थी जिसमे सक्षम न्यायालय ने अपने निर्णय मे गैरसायल को आर्थिकदण्ड से दण्डित किया गया है। सायल के इस्तगासा मे कथा अनुसार गैरसायल जुआ सटटा का आदतन अपराधी जिससे आम जनता को कुप्रभाव पडता है। गैरसायल सक्षम न्यायालय के दण्डित के बाद भी अपनी कार्य शैली पर कोई असर नही हो रहा है जिससे आम जनता मे ऐसे अपराधी का खुले रूप मे घुमना जान माल की सुरक्षा हेतु असुरक्षित रहता है। जिसमे गैरसायल द्वारा अपने जबाव मे गरीब व्यक्ति होना स्वीकार करते हुये दोष मुक्त किये जाने का भी निवेदन किया गया है। किन्तु जब सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को दण्ड से दण्डित कर दिया गया है तो गैरसायल के विरुद्ध यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियमो के तहत अपराधिक कृत कारित करने मे सल्लिप्त है। गैरसायल का कृत्य अनैतिक है। जो समाज के लिए अभिशाप है। ऐसे मे उसके खिलाफ कार्यवाही किया जाना उचित समझते है।

अतः सायल /प्रार्थी का इस्तगासा स्वीकार किया जाकर लच्छी उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र चन्दन जाति गौड निवासी सायनाथ खिडकीयाँ करौली थाना कोतवाली करौली जिला करौली को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाता है। तथा गैरसायल को 15 दिवस की समयावधि के लिए थाना कोतवाली करौली जिला करौली के परिक्षेत्र से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है। थाना अधिकारी कोतवाली करौली को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 16.01.2020 से 30.01.2020 तक की समयावधि के लिये थाना कुडगाँव पर रहने हेतु सूपूर्द करें। गैरसायल को सुविधा मार्ग से ले जाया जावे। गैरसायल की वहा रहने की जानकारी के लिए थाने मे उपस्थिति देगा। एवं 15 दिवस की समाप्ति से पूर्व थाना कोतवाली करौली के किसी भी भाग मे प्रवेश नही करेगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधिक्षक करौली एवं थाना अधिकारी कोतवाली करौली एवं थाना कुडगाँव को भेजे तथा एक प्रति गैरसायल को दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुर्दशनसिंह तोमर)

अति० जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट  
करौली

